THE APPROPRIATION BILL, 1991

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DIGVIJAY SINGH): Madam, I beg to move:

That the Bill to...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : महोदया यह जो चेन्ज आज के आर्डर पेपर में नहीं था वह हाऊस के अंदर चेंज सर्कूलेट किया गया हैं । मैं समझता हूं कि सरकार की यह उचित कार्यवाही नहीं हैं । पहले भी ये बिल थे अगर इनको एजेन्डा में शामिल कर लिया जाता तो अच्छा होता... (व्यवधान)

उपसभापति : यह पहले से निर्णय हुआ था ऐडवाइजरी कमेटी में कि जो कुछ भी लोकसभा में बिल आएंगे हमारे हाउस में वह पास होंगे । इसीलिए हाउस ऐक्सपैंड हुआ था कि हम लोगों ने ऐप्रोप्रियेशन वगैरह पास करने हैं । रात को 11 बजे मैसेज आया और आप लोग 7 बजे से ही बाहर चले गए थे...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सुबह भेज दिए गए होते तो अच्छा होता... (व्यवधान)

उपसभापति : सुबह हंगामें में कोई चीज रिपोर्ट ही नहीं हो रही थीं । इसलिये 12 बजे रिपोर्ट होने तक के लिए रुकना पड़ा । हम लोगों को खाली वापस ही भेजने से ये मनी बिल पास करने ही हैं । इस पर भी निर्णय हुआ था कि ऐप्रोप्रियेशन पर भी भाषण नहीं होंगा । आप लोग शान्ति रखें तो मुझे भी मौका मत दीजिए भाषण का और बिल पास करिए ।

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1990-91, as pased by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 & 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

I. THE JAMMU AND KASHMIR APPROPRIATION BILL, 1991 AND

II. THE JAMMU AND KASHMIR CRIMINAL LAW AMENDMENT (AMENDMENT) BILL, 1991

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DIGVIJAY SINGH): Madam, I beg to move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jammu & Kashmir for the services of the financil year 1990-91, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Madam, this Bill arises out of a sum of Rs. 128.53 crores voted by the Lok Sabha on 10th January, 1991, and Rs. 0.19 crores charged on the Consolidated Fund of the State of Jammu and Kashmir. These amounts have been shown to cover the additional requirements in the current financial year. Full details of the provisions are available in the Supplementary Demands circulated to the Members on the 28th December, 1990.

Madam, I commend the Bill for the consideration of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Jammu & Kashmir Criminal Law Amendment (Amending) Bill, 1991—Shri Yashwant Sinha.

AN HON. MEMBER: You are taking them together?

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are taking these together. Actually Shri Subodh Kant Sahay should have been here. But he is held up in the Lok Sabha. That is why Mr. Yashwant Sinha is doing on his behalf.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, 1983, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, the proposed Bill seeks to replace an Ordinance promulgated by the Governor, Jammu and Kashmir, on 17-12-1990. The Ordinance was laid on the Table of the House on 7-1-1991. Public order and harmony in the State of Jammu and Kashmir has been put to severe strain by the persistent activities of some of the organisations of the State. Attempts have been made by them to incite and instigate the population in general and youth in particular to create disturbed conditions through violence, disharmony and disorder with an ultimate aim of secession from the State of the Union. The operations of these organisations with strong appeal to extra-territorial loyalities, emphasis on theocratic ideas and education imparted in schools run by some of the organisations, have caused serious disruption to public order and harmony and have been responsible to a great extent for the present difficult law and order situation in the State. The Government of Jammu and Kashmir declared 8 such organisations as unlawful under the provisions of the Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, 1983.

The State Government also constituted a Tribunal as required under the law to decide and make an order either confirming or cancelling the declaration so made by the State Government within a period of six months from the date on which a reference was received by the Tribunal from the State Government. The statutory time available for the Tribunal would have expired on 18-12-1990. In view of the disturbed conditions in the Valley, the Tribunal could not proceed in the matter within the prescribed period. The State Government, therefore, suggested that an Ordinance may be issued by amending the relevant statutory provisions for extending the period available to the Tribunal. Since the State of Jammu and Kashmir is under President's Rule and Parliament was not in session, the Governor promulgated the Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Ordinance, 1990, on the 17th December, 1990, for extending the period of six months to one year to enable the Tribunal to complete its proceedings in relation to such declaration. The Tribunal is yet to take a final decision in the matter, and the present legislation is to enable them to decide on the Notification referred to them within the additional time limit of six months.

The proposed legislation is placed before the House for consideration and passing.

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't have any names before me...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): I want to say a word, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Those names which were there have been withdrawn.

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

मैं दोनों बिलों का समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात का स्पष्टीकरण चाहूंगा जो मंत्री जी ने बोलते समय कही है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल इसलिए नहीं मिल सके क्योंकि डिस्टर्बेन्स थी। जो इस बिल का उद्देश्य है उसमें इस शब्द का कहीं उल्लेख नहीं था, इसलिए पहले मैंने नाम नहीं दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको यह आश्वासन है कि अब ट्रिब्यूनल बकायदा काम कर सकेगा? अगर कर सकेगा तो क्या उसके लिए पहले कठिनाई थी और क्या अब कठिनाई दूर हो गई है? अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ अधिकार दिये गये हैं कि ट्रिब्यूनल के सामने जो संस्थायें गैर-कानूनी कायम की जाती हैं उनको देखा जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि गैर-कानूनी संस्थायें करने का कोई अर्थ नहीं रहता है यदि केन्द्रीय सरकार की ओर से बार बार यह इशारा किया जाता है कि जो टररिस्ट्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। एक तरफ तो टररिस्ट्स आर्गेनाइजेशन्स को ल्लीगल करार देना और दूसरे उनके साथ बातचीत करते रहना। इस बारे में मैं प्रधान मंत्री जी का ज़हन चाहूंगा। कुछ संस्थाओं को गैर-कानूनी करार दिया गया, मैं समझता हूं कि ठीक किया गया और ट्रिब्यूनल के हवाले किया गया वह भी ठीक किया गया। लेकिन उसी के साथ केन्द्र से, प्रधान मंत्री की ओर से, इशारा किया जाता है कि उन लोगों से बातचीत की जाएगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। मेरा निवेदन है कि यह बातचीत का सिलसिला जारी न किया जाय बल्कि उनके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : उपसभापति जी, कश्मीर की समस्या के बारे में जो चर्चा हुई उसकी गम्भीरता से हम सब चिन्तित हैं। यह भी सही है कि काश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आज उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन रास्ता एक ही है और वह रास्ता है बातचीत का, जिसका जिक्र माथुर साहब ने किया है। मैं जानता हूं, कुछ लोगों को इस पर एतराज होता होगा, लेकिन जब ऐसे झगड़े हों, ऐसे विवाद हों तो बातचीत का ही रास्ता हमारे लिए शेष रह जाता है। यह चर्चा कल भी सदन में हुई थी और आज भी हुई होगी, मैं सदन में था नहीं, काश्मीर की समस्या एक अपना इतिहास रखती है, तारिख रखती है। उस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। काश्मीर के इतिहास से जुड़ा हुआ है भारत की धर्म-निरपेक्षता का इतिहास। काश्मीर जिस समय भारत में आया था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व को उसने स्वीकार किया था। उस दर्शन को, उस राजनीतिक दर्शन को, स्वीकार किया था जिसका नेतृत्व पंडित नेहरू उस समय भारत सरकार में कर रहे थे और इसलिए अगर हम उस दर्शन को अस्वीकार करेंगे तो काश्मीर के लोगों के साथ हमने जो वायदा किया है उस वायदे के साथ वायदाखिलाफी होगा। ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए एक सीमा है जिस सीमा का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिये।

जहां तक भारत से बाहर जाने का सवाल है, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए सब को, इस देश में और इस देश के बाहर, कि यह सवाल केवल एक भूखंड का नहीं है, यह सवाल भी हमारे राजनैतिक दर्शन का है, हमारे राजनैतिक सिद्धांत का है, हमारी सियासी मंजिल का है। अगर काश्मीर पर हम कोई समझौता करने की बात कभी भी सोचेंगे तो यह भारत में धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत से समझौता करने के समान होगा। इस लिए कोई समझौता संभव नहीं है। अगर किसी को इस बारे में गलतफहमी हो तो वह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। बातचीत का रास्ता इसलिए हम खुला रखना चाहते हैं, काश्मीर में काश्मीर के लोगों से बात करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं।

क्योंकि वे भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। चाहे कोई कितनी ही

[श्री चंद्रशेखर]

गलत बात करे, वह भारत का नागरिक है, उससे बातचीत का रास्ता हमको बंद नहीं करना चाहिए, यह हमारा मानना है। अब काश्मीर के सवाल को लेकर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के रिश्तों का सवाल उठाया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसका भी पुराना इतिहास है। गांधी जी अगर जनवरी 1948 में मरे नहीं होते तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करूंगा क्योंकि हम दोनों एक परिवार के लोग थे, अलग हो गए, यह दरार नहीं बढनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी नीति को अपनाया। लडाइयां हुई, झगडे हुए, विवाद हुए, राष्ट्र संघ में सवाल उठाए गए लेकिन बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया। जिस शिमला सम्मेलन की हम रोज बात करते हैं तो श्रीमती गांधी ने भी बातचीत के जरिए शिमला प्रस्ताव स्वीकार कराया था। वह कोई लडाई के जरिए स्वीकृत नहीं हुआ था। इसलिए बातचीत का रास्ता पाकिस्तान के साथ खुला रखना पडेगा। हमने कल भी कहा था कि पाकिस्तान से या हिन्दुस्तान से कोई तनाव होता है तो उसका असर हमारे सामाजिक जीवन और हमारी आर्थिक स्थिति पर भी पडता है। यह इतिहास की वास्तविकता है। इसको हम इंकार नहीं कर सकते। अगर यहां तनाव का वातावरण कम करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की बातें कम की जायें। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वह दुनिया का कोई भी देश हो अगर वह कश्मीर और भारत के संबंधों पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएगा तो उससे न इस सवाल के ऊपर कोई समझौता हो सकता है न उससे इस सवाल पर कोई बातचीत हो सकती है, यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होनी चाहिए। हमने कश्मीर में कुछ कदम उठाए हैं। यह नहीं है कि केवल मौसम के कारण हालत बदले हैं। काश्मीर में कुछ नौजवान जो अलग हो गए थे, अलगाववादी ताकतों के साथ हो गए थे, वे हमारे साथ आयें हैं, पिछले कुछ दिनों में, यह एक शुभलक्षण है। दूसरा, मैंने यह भी कहा है कि बडी मात्रा में हथियार पकडे गए हैं। वे हथियार बहुत खतरनाक किस्म के हैं। वहां पर हमारी सैक्योरिटी फोर्सेज ने, सुरक्षा बलों ने पिछले दिनों वहां बहुत अच्छा काम किया है। केवल मौसम की वजह से नहीं, सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण यह काम हुआ है। मैं यह भी सुनता हूं और सुरक्षाबलों के बारे में और सेना के बारे में आपत्तियां उठाई जाती हैं। लेकिन, उपसभापति महोदया कश्मीर में तो सेना और सुरक्षाबल के लोग 1947-48 से आज तक हैं। अचानक यह बात क्यों उठी है? जब अलग विवादी ताकतें उठती हैं, जब धार्मिक मथादता का सवाल उठता है तब सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ आवाज भी उठती है। इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि कहीं भी अत्याचार नहीं हुए होंगे। इतने बड़े पैमाने पर सेना के लोग हैं और इतने दिनों से हैं। जरूर कुछ घटनायें हुई होंगी। लेकिन, उपसभापति महोदया, जब भी कहीं ऐसी घटनायें हुई और खबर मिली, सरकार को या सेना के अधिकारियों को तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की गई। मैं कश्मीर में रहने वाले भाई और बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके साथ कोई दुराव अभाव देश में नहीं है। उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं होगा जिससे वे अपने मन में कोई शंका पालें। लेकिन साथ ही उन्हें भी देश की धारा के साथ मिलकर, देश के विकास के लिए काम करना होगा। हम इसमें सदन के सभी वर्गों का सहयोग चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अपने राजनैतिक विचारों के कारण हम ऐसा माहोल बनाएँ जिससे इस सदन में भी कश्मीर के सवाल पर कोई मतभेद पैदा हो। उपसभापति जी, आपके जरिए सारे सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के मामले में सरकार सब का सहयोग चाहती है और अगर किसी को कोई शिकायत हो, कोई कमी हो, मैं यह नहीं कहता कि सरकार के काम करने के में कमी नहीं होगी, उसकी भी विवशतायें हैं, कठिनइयां हैं, हमारी सिमायें हैं, । देश के अंदर हम काम कर सकते हैं, अगर हमें आपका सहयोग मिले

तो उपसभापति जी, इन सीमाओं को हम लांघ सकते हैं और ज्यादा प्रभावकारी कदम उठा सकते हैं । लेकिन दो सवाल, देश की एकता और अखंडता के सवाल और कश्मीर का भारत के साथ में रहने के सवाल पर दुनिया की किसी भी शक्ति के साथ कोई समझौता नहीं होने वाला है और न कोई बातचीत होने वाली है । और दूसरा बातचीत का रास्ता हम अपनी ओर से नहीं बन्द करने वाले हैं । अगर दूसरे बातचीत का रास्ता बंद करेंगे तो मेरा केवल यही निवेदन है कि मत चलाओं गोली, गोली से नहीं बातचीत से इसका हल निकलेगा । सरकार को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह भी बातचीत का रास्ता बंद कर दें । लेकिन उपसभापति जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि सारी उत्तेजनात्मक बातों के, सारी कठिनाइयों के बावजूद भी सरकार बातचीत का रास्ता खुला रखेगी । लेकिन साथ ही अपनी उस जिम्मेदारी से हम बरी नहीं हो सकते जहां लोगों को सुरक्षा देने का सवाल है जहां लोगों को आत्म-सम्मान और गौरव के साथ उस इलाके में रहने का सवाल है । वहां से कुछ शरणार्थी आए हैं । हम जानते हैं कि वे कठिनाइयों में हैं। सरकार ने मदद की है । लेकिन कितनी भी हम मदद करें उनकी कठिनाइयों पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते । हम यह आशा जरूर करते हैं कि जल्दी ऐसा वातावरण बनेगा कि लोग अपने घरों को मर्यादापूर्वक चले जाएंगे और वहां सुरक्षा के साथ रह सकेंगे यही मुझे कहना है । उपसभापति महोदया, मुझे विश्वास है कि कश्मीर की हालत बदलेगी और बदलाव ही दिशा में होगा। धन्यवाद ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदया,..

उपसभापति : माथुर जी, अगर मैं आपको समय दूंगी तो मुझे सभी का ध्यान रखना पड़ेगा । फिर चारों तरफ से मुझे जवाब देना पड़ेगा ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं आधा मिनट का समय लूंगा । मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूं । मैंने सम्मानपूर्वक बीच में नहीं टोका है । प्रधान मंत्री जी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के लोगों से कुछ वायदे किए हैं ऐसे एक शब्द का प्रयोग किया था । यह उन्होंने कहा है जैसे कि मैंने सुना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि वह वायदे क्या हैं ?

श्री चन्द्रशेखर : वह वायदे 370 के हैं जिसको मैं नहीं कहना चाहता था ।

डा० अबरार अहमद (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, मुझे आधा मिनट दे दीजिए **(व्यवधान)**

उपसभापति : अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी **(व्यवधान)** आधा मिनट आप बोलेंगे, आधा मिनट वो बोलेंगे । **(व्यवधान)** पाण्डेय जी, आपने हर एक की तरफदारी करने की जिम्मेदारी तो नहीं ली है **(व्यवधान)** वहां बैठ कर के इस तरह के कमेंट भी न किया करे **(व्यवधान)**

डा० अबराय अहमद : मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर का जो विवाद है वह चीज अलग है और कश्मीर की जो हालत है वह एक अलग चीज है । विवाद तो बरसों पुराना है **(व्यवधान)**

SHRI JAGDISH DESAI (Maharashtra): There is no dispute.

डा० अबराय अहमद : आप मेरी बात तो सुनिए । लेकिन आज जो हालात हैं वह बिल्कुल अलग हैं यह हालात पहले से नहीं बने थे । यह हालात नवम्बर, 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी **(व्यवधान)**

उपसभापति : अब आप बैठ जाइए । प्रधान मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया है।

डा० अबरार अहमद : कश्मीर के मसले को जिस प्रकार से मिस हैंडलिंग किया, कन्फ्यूजन उन्होंने पैदा किया उसके कारण इस प्रकार के हालात बने हैं (व्यवधान) नवम्बर, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनने के बाद जिस तरह से मिसहैंडलिंग किया, जिस प्रकार की नीति चलाई उसके कारण यह हालात बने हैं (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I will put the motion.

The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 1990-91, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I will put the other motion.

The question is:

"That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, 1983, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

SHRI YASHWANT SINHA: I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Prime Minister is here for the Tamil Nadu problem. But I have a Resolution on the Gulf situation about which all the Members of the House are concerned. If the House permits I will read out the Resolution for the House and then we can go ahead with the other business.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Before taking up the Tamil Nadu problem...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not taking it up now. I will allow you.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: This is very important.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam, the draft Resolution was approved by all the party leaders at a meeting with the Prime Minister yesterday. It can be passed unanimously. You please read it out.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Just one sentence.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me read it out, please.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Madam, only one sentence.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, one sentence.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: It is not about the issue; it is about his mentioning.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whatever it is, about Tamil Nadu, we will take it up. Let me read out the Resolution for the approval of the House.

RESOLUTION CALLING FOR EFFORTS TO PREVENT WAR IN GULF REGION

THE DEPUTY CHAIRMAN: The crisis in West Asia is causing grave concern throughout the world. Perhaps, at no time since the Second World War has humankind been so close to the brink of global disaster. War will cause incalculable human suffering and inflict irreversible environmental damage. War must be averted. Peaceful means must be pursued relentlessly.

Recalling that the Government of India, along with many other countries belonging to the Non-aligned Movement as well as outside the Movement, have repeatedly been urging that the Gulf crisis be resolved by peaceful means through dialogue,

Noting that the deadline of 15th January, 1991 set in the UN Security Council Resolution 678 is fast approachng,

Believing that the Non-aligned Movement has an important role to play in bringing about a dialogue among all the parties involved in the crisis.

Deply conscious of the many historic, cultural, linguistic and other ties that bind India with the nations and peoples of the Gulf region and the long tradition of warm and friendly relations with them.

This House—

I. Expresses its firm belief that war must be averted.

II. Calls upon all sides to make further determined efforts in the coming days and weeks to prevent war and seek solution through peaceful means by dialogue under UN auspices or otherwise;

III. Wishes the Secretary-General of the United Nations every success in his last minute effort to resolve the issue peacefully.

I hope the House approves it unanimously.

HONOURABLE MEMBERS: Yes.

RE. PRIME MINISTER'S REMARKS ON SITUATION IN TAMIL NADU—

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now who is going to speak?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I am going to speak, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you are going to speak. You have been wanting to speak since morning.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I want to say a few words, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are saying before him?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Yes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, fine.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Madam Deputy Chairman, the leaders of the Opposition parties had a meeting with the Prime Minister. It was a very useful meeting: we had frank exchange of views on the affairs of Tamil Nadu vis-a-vis the Centre. In the meeting there was common concern of all that there should not be any misunderstanding, misgiving or suspicion or doubt giving rise to conflict and confrontation between the Centre and the State. As we all believe, both the Centre and the States